खण्ड - छः
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

1. प्रस्तावना :-

प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राज्य के सर्वोच्च संगठन होने के नाते छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये विभिन्न कार्यक्रमों की योजना और उसके निष्पादन हेतु प्रयासरत है। मण्डल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये उच्च टैक्नॉलाजी और बेहतर प्रबंधन को विकसित करने और कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर औद्योगिक ईकाईयों से उत्सर्जन और प्रदूषण की ऑनलाईन निगरानी सतत् निगरानी रखना एवं उसको स्वच्छ बनाये रखना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन :-

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 25 जुलाई 2001 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के तहत किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों में प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है:—

1. जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
4. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016
5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
6. जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
7. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016
8. ई—अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
9. अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016
10. फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999
11. बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001
12. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006

3. मंडल के मुख्य कार्यकलाप

(1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान करना।

(2) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अतंर्गत बनाये गए विभिन्न नियमों यथा खतरनाक अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम, 2008, नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2000, जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998, अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम 2011, फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999, बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001 एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 आदि के प्रावधानों का पालन कराना।

(4) मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान की जाती है।

(5) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

4. संगठनात्मक संरचना :-

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय नया रायपुर अटल नगर के पर्यावास भवन में स्थित है, तथा इसके अधीनस्थ सात क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः रायपुर, भिलाई–दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अम्बिकापुर, जगदलपुर में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है :–

तालिका-1

क.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिले का नाम
1	रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार, गरियाबंद
2	भिलाई–दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा, खैरागढ–छुईखदान–गंडई, मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी
3	बिलासपुर	बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, मुंगेली, जी.पी.एम., सक्ती, सारंगढ़–बिलाईगढ़
4	कोरबा	कोरबा
5	रायगढ़	रायगढ़, जशपुर
6	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर
7	जगदलपुर	जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर बीजापुर, कोण्डागांव, सुकमा

5. मंडल के पदसंरचना -

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतन लेवल
1	2	3	4	5	6
1.	मु. अभियंता	01	01	00	लेवल – 16
2.	अति. मु. अभियंता	02	02	01	लेवल – 15
3.	अधीक्षण अभियंता	07	04	03	लेवल – 14
4.	वरि. वैज्ञानिक अधिकारी	03	03	00	लेवल – 14
5.	कार्यपालन अभियंता	09	09	00	लेवल – 13
6.	मुख्य रसायनज्ञ	07	07	00	लेवल – 13
7.	जनसंपर्क अधिकारी	01	01	00	लेवल – 13
8.	विधि अधिकारी	01	00	01	लेवल – 13
9.	वैज्ञानिक	21	08	13	लेवल – 12
10.	सहा.जनसंपर्क अधिकारी	01	00	01	लेवल – 12
11.	स्टाफ ऑफिसर	01	01	00	लेवल – 12
12.	सहायक अभियंता	20	08	12	लेवल – 12
13.	सहायक विधि अधिकारी	02	02	00	लेवल – 12
14.	अनुभाग अधिकारी (बी)	03	01	02	लेवल – 10
15.	कनिष्ठ वैज्ञानिक	15	09	06	लेवल – 10
16.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1	01	00	01	लेवल – 10
17.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	02	00	02	लेवल – 09
18.	वरिष्ठ लेखापाल (बी)	06	03	03	लेवल – 09
19.	सहायक प्रोग्रामर	01	01	00	लेवल – 09
20.	उप अभियंता	01	01	00	लेवल – 08
21.	रसायनज्ञ	20	03	17	लेवल – 08
22.	लेखापाल	14	07	07	लेवल – 08
23.	विधि सहायक	01	00	01	लेवल – 08
24.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	02	00	02	लेवल – 07
25.	प्रयोगशाला सहा. ग्रेड–1	15	08	07	लेवल – 06
26.	सहायक ग्रेड–2	20	20	00	लेवल – 06
27.	प्रयोगशाला सहा. ग्रेड–2	20	04	16	लेवल – 04
28.	सहायक ग्रेड–3	40	08	32	लेवल – 04
29.	वाहन चालक	24	05	19	लेवल – 04
30.	प्रयोगशाला परिचारक	20	00	20	लेवल – 03
31.	दफ्तरी	12	00	12	लेवल – 02
32.	भृत्य	35	07	28	लेवल – 01
	कुल	**328**	**123**	**205**	

6. छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संपादित कार्यो की सांख्यिकी -

6.1 जल एवं वायु सम्मति

दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक उद्योगों को जारी की गई सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की संख्या

क.	कार्यालय का नाम	स्थापना/संचालन सम्मति		नवीनीकरण
1	मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर	स्थापना – 104 संचालन – 96	} 200	254
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	539		652
3	क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई–दुर्ग	361		525
4	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	222		325
5	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	49		64
6	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	196		206
7	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	115		150
8	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	102		128
कुल		**1784**		**1304**

दिनांक 31 दिसम्बर 2024 तक क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले लघु, मध्य/बड़े उद्योगों की संख्या

क.	कार्यालय का नाम	लघु उद्योग	मध्यम/बड़े उद्योग
1	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	3671	240
2	क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई–दुर्ग	3539	117
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	1550	69
4	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	253	42
5	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	971	106
6	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	629	26
7	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	486	17
कुल		**11099**	**617**

6.2 जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन कार्यक्रम (मीनार्स) – इसके अंतर्गत प्रमुख प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाती है। इस कार्यक्रम में प्रदेश की मुख्य नदियाँ– महानदी, शिवनाथ, खारून, अरपा, हसदेव, केलो, शंखनी–डंकनी, मांड, इंद्रावती नदियाँ शामिल हैं। यह योजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आर्थिक सहयोग से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2024 से

31 दिसम्बर 2024 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	104
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	84
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	12
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	70
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	92
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	36
	कुल	**398**

अन्य प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग - मीनार्स कार्यक्रम के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा स्वयं के वित्तीय व्यय से सभी प्रमुख नदियों तथा उनकी सहायक नदियों एवं मुख्य झीलों, बांधों तथा तालाबों के जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	201
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	170
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	92
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	252
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	293
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	58
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	54
	कुल	**1120**

औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग - उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल की गुणवत्ता मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। मॉनिटरिंग परिणामों के आधार पर उद्योगों पर कार्यवाही की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेशित किये गये :–

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	325
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	54
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	36
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	105
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	298
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	10
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	87
	कुल	**915**

6.3 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (NCAP) – इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के चार प्रमुख शहरों रायपुर, कोरबा, बिलासपुर एवं दुर्ग–भिलाई में परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग में आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित हैं। मॉनिटरिंग में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (एस.पी.एम.), रेस्परेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (आर.एस.पी.एम.), सल्फर डाई–आक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विश्लेषित नमूनों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	एस.पी.एम.	आर.एस.पी.एम.	सल्फर डाई ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	643	1923	3846	3846
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	511	1309	2618	2618
3.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	409	1150	2300	2300
4.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	802	2102	4213	4213
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	28	831	115	115
	कुल	**2653**	**7315**	**13092**	**13092**

उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेषीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग - औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप वायु प्रदूषण की स्थिति पर सतत् निगरानी रखने हेतु उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार उद्योगों की चिमनियों एवं परिवेशीय वायु के निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये:–

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्टेक मॉनिटरिंग की संख्या	एंबीएन्ट एयर मॉनीटरिंग की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	166	597
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	84	411
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	03	106
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	–	69
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	151	157
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	125	527
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	41	92
	कुल	**570**	**1959**

6.4 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए.नोटिफिकेशन 2006 के अंतर्गत की गई लोक सुनवाई :-

दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक की अवधि में कुल 65 लोक सुनवाई संपन्न हुई।

6.5 उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध की गई कार्यवाही -

दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक की अवधि में जारी नोटिस एवं निर्देशों का विवरण निम्नानुसार है

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नोटिस	विद्युत विच्छेद/उत्पादन बंद करने के निर्देश
1.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	68	198
2.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	62	17
3.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	22	01
4	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	08	32
5.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	161	86
6.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	04	20
7.	क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर	06	07
कुल		**331**	**361**

6.6. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक की अवधि में 83 प्राधिकार एवं 74 नवीनीकरण किए गए।

6.7 जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 -

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक की अवधि में 330 प्राधिकार एवं 458 नवीनीकरण हुये।

6.8 ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन :-

मंडल के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न प्रमुख उद्योगों द्वारा रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर जगदलपुर, एवं भिलाई में कुल 146 ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं। इन उपकरणों द्वारा सतत् रूप में एस.पी.एम., आर.एस.पी.एम., एस.ओ.टू. एवं एन.ओ.एक्स. की स्थिति लगातार ज्ञात होकर दर्षित होती है। मंडल में 17 प्रकार के अति प्रदूषणकारी उद्योग जिनमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार ऑनलाईन कन्टीन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाना अनिवार्य था, में आने वाले सभी उद्योगों में उक्त सिस्टम स्थापित कर लिया गया है। प्रदेश में ऐसे उद्योगों की संख्या 163 है।

6.9 वृक्षारोपण बाबत् जानकारी (वर्ष 2021 में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी) :-

क्रं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वृक्षारोपण की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	239831
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	230700
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	473804
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	664379
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	147683
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	567168
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	68500
	कुल	2392065

7. बोर्ड की वित्तीय स्थिति :-

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक सम्मति शुल्क रू. 1606.27 लाख तथा नवीनीकरण शुल्क रू. 4904.03 लाख प्राप्त हुएं है।

8. जन जागरूकता अभियान :-

''छत्तीसगढ़ - विजन 2047'' पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन

छततीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की परिकल्पना को सार्थक करने के लिये ''छत्तीसगढ़ – विजन 2047'' पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 मार्च, 2024 को रायपुर में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन श्री ओ.पी. चौधरी, मंत्री, वित्त, वाणिज्यकर, आवास एवं पर्यावरण, योजना एवं सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्षता श्री राहुल भगत, सचिव मान. मुख्यमंत्री एवं सुशासन व अभिसरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने किया। आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के उद्धेश्य से इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के इंटीग्रेटेड स्टील एवं स्पंज आयरन प्लांट, कोल वॉशरी, ताप विद्युत संयंत्र, कोल माईंस एवं आयरन ओर माईंस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

फ्लाईएश नोटिफिकेशन-2021 का पालन सुनिश्चित कराये जाने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा कार्यशाला का आयोजन

फ्लाईएश नोटिफिकेशन–2021 के विभिन्न प्रावधानों के पालन एवं उद्योगों द्वारा की जा रही कार्यवाही के मूल्यांकन के लिये प्रदेश के सभी थर्मल पॉवर प्लांट के प्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला का आयोजन नवा रायपुर में श्री अंकित आनंद,सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला में मण्डल के सदस्य सचिव, श्री पी. अरूण प्रसाद भी उपस्थित थे। कार्यशाला में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि फ्लाईएश अधिसूचना, 2021 के विभिन्न प्रावधानों एवं प्रावधानों में उल्लेखित समय सीमा अनुसार फ्लाईएश के उपयोग की जिम्मेदारी उद्योगों की है।

अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर पोस्टर एवं इन्वायरोथॉन प्रतियोगिता

16 सितम्बर अन्तर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जन–जागरूकता के लिये स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं की पोस्टर एवं इन्वायरोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन्वायरोथॉन प्रतियोगिता का विषय Trash to Treasure रखा गया, जिसमें तीनों केटेगरी में 256 छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। पोस्टर प्रतियोगिता का विषय –जलवायु परिवर्तन के कारण और निदान रखा गया है।

''इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईस 2024'' पर कार्यशाला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा नवा रायपुर में ''इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईस 2024'' पर कार्यशाला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ''टुगेदर फॉर क्लीयर एयर'' विषय पर कार्यशाला में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वरिष्ठ अधिकारियों सहित महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली।

05 जून, विश्व पर्यावरण दिवस पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संगोष्ठी एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन।

5 जून, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारान्यू कन्वेन्शन हॉल नवीन विश्राम गृह, सिविल लाईन, रायपुर में पोस्टर प्रतियोगिता एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता का विषय ''जलवायु परिवर्तन सदी की सबसे बड़ी चुनौती'' रखा गया। संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. के सुब्रमण्यम, सदस्य, राज्य नीति आयोग थे। मण्डल द्वारा आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता चार आयु वर्ग में रखी गई थी। प्रदेश स्तरीय इन प्रतियोगिताओं में चार सौ बयालिस स्कूली व महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मण्डल द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग की रोकथाम पर सघन जन–जागरूकता अभियान चलाया गया एवं कपड़े के थैले भी वितरित किये गये।